

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) सं.प.अ. / 118 / 2021

दिनांक :27.07.2021

श्रीमती मोनिका खीचड़ (RJ1083), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुहाना (झुंझुनू) को दिनांक 26.07.2021 से 23.09.2021 तक **60 दिनों** का **संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave)** दिनांक 23.07.2021 (ऐच्छिक अवकाश) एवं 24.07.2021 से 25.07.2021 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री रिकू कुमार (RJ0862), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी (झुंझुनू)को श्रीमती मोनिका खीचड़ के उक्त **अवकाश** की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुहाना (झुंझुनू)के पद का **अतिरिक्त कार्यभार** सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा **पदस्थापित/नियुक्त** कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:-

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक में अभिरक्षा है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. **श्री रिकू कुमार (RJ0862)**, अति. कार्यभार वाले न्यायालय में आनुकल्पिक सप्ताह (Alternate Week) कम से कम तीन दिन (At least for three days in alternate week) कैम्प कोर्ट करेंगे।।

आज्ञा से,



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 27.07.2021

क्रमांक:—स्था.बी.2 (4)/71/2016/4742

दिनांक :27.07.2021

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झुंझुनू को उनके पत्रांक 5837 दिनांक 19.07.2021 के सन्दर्भ में।
3. **श्रीमती मोनिका खीचड़ (RJ1083)**, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुहाना (झुंझुनू)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुहाना (झुंझुनू)।
5. **श्री रिकू कुमार (RJ0862)**, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी (झुंझुनू)।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी (झुंझुनू)।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ. न्या., जोधपुर।


सहायक रजिस्ट्रार